प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 29.07.2025**

थाना गजनेर पुलिस टीम द्वारा साइबर सम्बन्धी अपराध कारित करने वाले 02 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 04 अदद की-पैड मोबाइल व 04 अदद एन्ड्राइड मोबाइल और ₹ 500/- बरामद हुए।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 28.07.2025 को थाना गजनेर पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत वांछित अपराधियों की तलाश हेतु गश्त कर रही थी कि तभी जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि कुछ लोग ग्राम रंजीतपुर में बन्द पडे प्राथमिक विद्यालय में ऑनलाइन साइबर ठगी का काम कर रहे हैं यह लोग जनता के मासूम लोगों को फोन करके अपने आपको पुलिस व सी0बी0आई0 अधिकारी बता कर उनके द्वारा उनके फोन में पॉर्न वीडियो देखने का आरोप लगाकर बलात्कार व पॉक्सो जैसे अपराध में जेल भेजने की धमकी देकर, डराकर भय में डालकर उनका पैसा ऑनलाइन ट्रान्सफर करा लेते हैं। तब उक्त सूचना पर थाना गजनेर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास द्वारा बताए गए स्कूल में अचानक जाकर दबिश दी गई तभी साइबर अपराध कर रहे व्यक्ति अचानक पुलिस वालों को देख कर स्कूल की वाउन्ड्री वॉल कूद कर खेतों की तरफ भागने लगे जिनका पीछा किया गया तो सिकन्दरपुर को जाने वाली सडक पर दो व्यक्तियों को आवश्यक बल प्रयोग कर पकड लिया गया जबकि कुछ अन्य लोग खडी फसल व झाडियों का फायदा उठा कर भागने में सफल रहे। गिरफ़्तारी व बरामदगी के आधार पर प्रभारी निरीक्षक गजनेर द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना गजनेर पर मु0अ0सं0 0224/2025 धारा 318(4)/319(2)/308(7)BNS 66C/66D IT ACT बनाम 1. जुगराज सिंह पुत्र राम सिंह चौहान (नुनिया) 2. चन्दन सिंह पुत्र सन्तोष सिंह चौहान निवासीगण वसावनपुर, थाना राधानगर, जनपद फतेहपुर पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के कब्जे से 08 मोबाइल फोन (04 अदद की-पैड मोबाइल व 04 अदद एन्ड्राइड मोबाइल) और 500/- बरामद हुए। अभियुक्तगण को नियमानुसार मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण से पूछताछ के क्रम में प्रकाश मे आए अन्य लोगों के विरुद्ध साक्ष्य संकलन के आधार पर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम दोनों गांव वसावनपुर, थाना राधानगर, जनपद फतेहपुर के रहने वाले हैं। मेरी रंजीतपुर में रिश्तेदारी है और रंजीतपुर के पंकज सिंह, सुशील व टुन्ना हमारे रिश्तेदार हैं तथा कुछ अन्य लोग भी मौजूद थे जिन्हें मैं नहीं जानता, हम सभी लोग गांव के बन्द पड़े प्राइमरी स्कूल में बैठकर मोबाइल से लोगों के नम्बर मिला मिलाकर बातचीत कर रहे थे। हम लोग अपने को सीबीआई अधिकारी और पुलिस अधिकारी बताकर जनता के लोगों को को फोन करके उनके द्वारा उनके फोन में पॉर्न वीडियो देखने का आरोप लगाकर बलात्कार व पॉक्सो जैसे अपराध में जेल भेजने की धमकी देते हैं, जिससे वह लोग हमारे धमकाने पर हमारे झांसे में आ जाते हैं और हम लोगों के द्वारा बताये गये खातों में या दिये गये क्यूआर कोड में पैसा डलवा देते हैं और जिसे हम लोग बाद में निकाल कर बांट लेते हैं। आज हम लोग ऐसा ही कर रहे थे कि तब तक पुलिस की गाड़ी आती दिखायी दी और आप लोगों को स्कूल की तरफ आते देखकर हम लोग स्कूल की बाउण्ड्री वाल कूद कर भागने लगे। कुछ लोग खेतों की तरफ भागे और हम लोग सड़क की तरफ भागने लगे कि आप लोगों ने पकड़ लिया। हमारे पास जो मोबाइल हैं, इन की-पैड मोबाइलो में जो सिमें पड़ी है उनसे भी हम लोगों ने साइबर की ठगी करने के लिए फोन किये थे। जिसमें एक महिला द्वारा 29,000/- रूपया डाले भी गये थे। हम लोग संयुक्त रूप से बैठकर घटना करते हैं जिसमें कुछ लोग सीबीआई या पुलिस अधिकारी बन कर बातचीत करते हैं तथा बीच-बीच में गाड़ियो के सायरन की आवाज भी दूसरे मोबाइल से बजाते हैं जिससे जनता के लोग हमें सही अधिकारी समझते हैं और डरकर पैसा डालने लगते हैं। जो मोबाइल रह गये हैं इसमें से दो मोबाइल मेरे रिश्तेदार साथी पंकज के हैं और दो अन्य लोगों के हैं जिनके नाम हम लोगों को नहीं पता हैं। फेक सिमों व फेक बैंक खातों के बारे में पूछा गया तो बताये कि सिम व खातों का इन्तजाम पंकज ही करता है। गलती हो गयी माफ कर दो कहकर चुप हो गये।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण-

1-जुगराज सिंह पुत्र राम सिंह चौहान (नुनिया) निवासी वसावनपुर, थाना राधानगर, जनपद फतेहपुर।

2-चन्दन सिंह पुत्र सन्तोष सिंह चौहान निवासी वसावनपुर, थाना राधानगर, जनपद फतेहपुर।

बरामदगी का विवरण-

04 अदद की-पैड मोबाइल व 04 अदद एन्ड्राइड मोबाइल और 500/- रुपये।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना गजनेर पुलिस